Dainik Jagran, Muzaffarpur, 25/09/2025
Page No: 5, Size: 3.60cm × 13.97cm

जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : सकरा के रामपुर मनी में अगलगी में जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने डीएम व एसएसपी को तलब करते हुए चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। विदित हो कि रामपुर मनी में इसी वर्ष 16 अप्रैल को आग लगने से चार बच्चे जिंदा जल गए थे। हादसे में गांव के 65 घर जलकर राख हो गए थे। घटना के बारे में बताया गया था कि बिजली के पोल पर लगे डीपी बाक्स में शार्ट सर्किट से आग लगी थी। इसके बाद आसपास के घर में आग फैल गई थी। वहां गैस सिलेंडर में भी आग लगते ही उसके फटने से स्थिति विकराल हो गई थी। इसमें चार मासूमों की जिंदगी समाप्त हो गई थी।

Hindustan, Muzaffarpur, 25/09/2025
Page No: 4, Size: 5.77cm × 16.19cm

मानवाधिकार आयोग पहुंचा विद्यार्थी के साथ बदसलूकी का मामला

मुजफ्फरपुर। पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में विलंब का कारण पूछने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़ने और उसके साथ बदसलूकी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अब यह मामला राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दायर की है।

पीजी फोर्थ सेमेस्टर (सत्र 2023-25) की परीक्षा में विलंब के कारण सैकड़ों छात्र एसटीईटी परीक्षा देने से वंचित रह गये, जिससे उनका भविष्य संकट में पड़ गया है। यह परीक्षा जुलाई में ही हो जानी चाहिए थी। इस बाबत जब परीक्षा नियंत्रक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई नोटिस उन्हें नहीं मिला है।

Hindustan, Muzaffarpur, 25/09/2025
Page No: 4, Size: 16.19cm × 5.77cm

मानवाधिकार आयोग पहुंचा विद्यार्थी के साथ बदसलूकी का मामला

मुजफ्फरपुर। पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में विलंब का कारण पूछने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़ने और उसके साथ बदसलूकी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अब यह मामला राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दायर की है।

पीजी फोर्थ सेमेस्टर (सत्र 2023-25) की परीक्षा में विलंब के कारण सैकड़ों छात्र एसटीईटी परीक्षा देने से वंचित रह गये, जिससे उनका भविष्य संकट में पड़ गया है। यह परीक्षा जुलाई में ही हो जानी चाहिए थी। इस बाबत जब परीक्षा नियंत्रक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई नोटिस उन्हें नहीं मिला है।

Prabhat Khabar, Muzaffarpur, 25/09/2025
Page No: 2, Size: 7.96cm × 3.36cm

एनएचआरसी ने डीएम व एसएसपी को किया तलब

मुजफ्फरपुर. सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव में हुई भीषण अगलगी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम व एसएसपी को तलब किया है. रामपुर मनी गांव में इस वर्ष 16 अप्रैल की सुबह के करीब नौ बजे आग लगने के कारण चार बच्चे जिन्दा जल गये थे और गांव में कुल 65 घर आग से जल कर राख हो गये थे. आयोग के द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए जिले के डीएम व एसएसपी को तलब किया गया है और 4 सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की गयी है.

GK Today

NHRC का ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम: युवाओं को मानवाधिकारों की शिक्षा देने की पहल

https://www.gktoday.in/hindi/nhrc-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%91%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%AA-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D/

September 24, 2025

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सितंबर 2025 के लिए अपना ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम (OSTI) आरंभ किया है। यह कार्यक्रम 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है और इसमें देशभर से चयनित 80 छात्रों को भाग लेने का अवसर मिला है। कुल 896 आवेदनों में से चुने गए इन छात्रों का प्रतिनिधित्व 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से है, जो इस कार्यक्रम की व्यापकता और विविधता को दर्शाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य और विशेषताएँ

इस इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन की प्रक्रिया की व्यापक समझ प्रदान करना है। NHRC के महासचिव भारत लाल ने उद्घाटन भाषण में कहा कि मानवाधिकार एक गतिशील विषय है, जिसे समय के साथ फिर से मूल्यांकित करने और जनभागीदारी से मजबूत करने की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संवैधानिक मूल्यों, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ समकालीन मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध और गिग इकॉनॉमी में शोषण पर भी जागरूक किया जाएगा।

व्यवहारिक अनुभव और पाठ्यक्रम संरचना

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें वर्चुअल माध्यम से विभिन्न संस्थानों जैसे तिहाड़ जेल, शेल्टर होम्स और पुलिस थानों की सैर भी करवाई जाएगी। इन अनुभवों का उद्देश्य छात्रों को मानवाधिकारों की व्यावहारिक चुनौतियों और अवसरों से अवगत कराना है। संयुक्त सचिव साईडिंगपुई चकचुआक ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इसमें व्याख्यान, संवादात्मक गतिविधियाँ और नीति वकालत की रणनीतियाँ शामिल हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, घरेलू समस्याओं और प्रभावी वकालत कौशल से लैस करने की दिशा में एक कदम है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 1993 में “मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम” के तहत की गई थी।

इंटर्नशिप कार्यक्रम (OSTI) NHRC द्वारा छात्रों को मानवाधिकारों की जानकारी देने के लिए समय-समय पर आयोजित किया जाता है।

तिहाड़ जेल, भारत की सबसे बड़ी जेल है और मानवाधिकारों से जुड़े प्रशासनिक सुधारों के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र है।

गिग इकॉनॉमी, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अस्थायी, अनुबंध आधारित कार्य बढ़ रहे हैं, जिससे श्रमिक अधिकारों पर नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

Times of India

Bihar deputy CM Samrat Choudhary slams Jan Suraaj founder Prashant Kishor for `baseless allegations'

https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/bihar-deputy-cm-samrat-choudhary-slams-jan-suraaj-founder-prashant-kishor-for-baseless-allegations/articleshow/124076413.cms

TNN | Sep 23, 2025, 11.37 PM IST

Patna: Deputy CM Samrat Choudhary on Tuesday hit back at Jan Suraaj founder Prashant Kishor (PK), asking him to verify facts before making political statements.

Responding to PK's allegations, the senior BJP leader recalled how, following the 1995 gang war, RJD chief Lalu Prasad had imprisoned 22 members of his family, prompting the National Human Rights Commission to penalise the govt and secure a formal apology.

"Making baseless allegations against someone solely for popularity or to remain in the headlines is not good for democracy. I consider morality and truth to be the most powerful weapons in politics and am not afraid of false accusations," Choudhary said.

PK had recently claimed that Choudhary's original name was Samrat Kumar Maurya, alleged he faced criminal charges in a murder case and questioned the authenticity of his doctorate degree, saying that Choudhary's affidavit to the court stated he had passed only Class VII.

Law Beat

Allahabad HC Stays EOW Inquiry Into 558 Madrasas Ordered by NHRC

https://lawbeat.in/news-updates/allahabad-high-court-stays-eow-inquiry-into-558-madrasas-ordered-by-nhrc-1519377

24 September 2025

The Allahabad High Court stays the NHRC probe into 558 aided madrasas in Uttar Pradesh

The NHRC, acting on a private complaint, issued three orders between February and June 2025 directing the Economic Offence Wing to probe alleged irregularities in 558 aided madrasas in UP

In a significant relief to the Teachers Association Madaris Arabia, the Allahabad High Court on September 22, 2025, stayed the operation of orders passed by the National Human Rights Commission (NHRC) directing a probe by the Economic Offence Wing (EOW), U.P. Lucknow, into 558 aided madrasas across Uttar Pradesh.

The division bench of Justice Saral Srivastava and Justice Amitabh Kumar Rai held that the matter required deeper consideration and restrained further action until the case is heard in detail.

The NHRC, acting on a complaint filed by one Mohammad Talha Ansari, issued three separate directions on February 28, April 23, and June 11 this year. The Commission directed the Director General of the EOW, Uttar Pradesh, to conduct an inquiry into alleged financial and other irregularities in the functioning of these madrasas and to submit an action taken report. The State government, acting on these directions, issued a government order on April 23 authorising a sweeping inquiry into all 558 aided madrasas.

Challenging these directions, the Teachers Association moved the high court, contending that the NHRC had acted beyond its statutory mandate.

Senior advocate Prashant Shukla, appearing for the petitioners, argued that Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, clearly enumerates the functions of the Commission and does not authorise such roving financial inquiries. He further pointed to Section 36(2) of the Act, which bars the NHRC from taking cognizance of any complaint after one year from the alleged violation of human rights. In this case, he submitted, the complaint neither specified any date of violation nor disclosed a concrete incident, rendering it legally infirm.

The complaint is vague and silent on material particulars. In the absence of a specific date of violation, it cannot be ascertained whether the complaint was filed within the statutory time limit of one year. Therefore, the NHRC's directions lack jurisdiction, the petitioners argued.

The State, however, opposed the plea. The standing counsel submitted that the Commission had considered the matter in detail and found sufficient grounds to order an investigation. He maintained that the probe was necessary to address the allegations raised before the Commission.

After hearing both sides, the bench noted that the petition raised serious jurisdictional questions regarding the powers of the NHRC. It issued notices to the NHRC and the original complainant, making them returnable at an early date.

Court granted four weeks to the State and other respondents to file counter-affidavits, with an additional four weeks for the petitioners to file rejoinders. The matter will now be taken up on November 17, 2025.

Significantly, court stayed the effect and operation of all three NHRC orders as well as the subsequent government order until further orders. This stay effectively halts the ongoing EOW inquiry into aided madrasas in Uttar Pradesh.

Case Title: Teachers Association Madaris Arabia And 2 Others vs. National Human Rights Commission And 8 Others

Order Date: September 22, 2025

Bench: Justice Saral Srivastava and Justice Amitabh Kumar Rai

Live Law

Allahabad High Court Stays NHRC Order Directing Economic Offences Wing Probe Into 558 Aided Madrasas In UP

https://www.livelaw.in/high-court/allahabad-high-court/allahabad-high-court-stays-nhrc-investigation-uttar-pradesh-madrasas-305003

LIVELAW NEWS NETWORK 24 Sept 2025 6:25 PM (2 mins read)

The Allahabad High Court, on Monday, stayed the order of the National Human Rights Commission, New Delhi directing the Director General, Economic Offence Wing, U.P. Lucknow to inquire into the allegations made against 558 aided Madrasas in the State of UP.

Petitioners, including Teachers Association Madaris Arabia, challenged the orders passed by NHRC based on a complaint filed by one Mohammad Talha Ansari, on grounds that the Commission is not empowered to order inquiry into matters of alleged human rights violation after expiry of 1 year from the date of the alleged incident. They relied on Section 36(2) of the Protection of Human Rights Act, 1993 which states that

The Commission or the State Commission shall not inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed.

Further, relying on Section 12(a) of the Act, it was argued that none of the stipulations for initiating inquiry under the provision were met. It has been argued that no specifics (date and time) of the alleged incident was mentioned in the complaint, making it vague. It was argued that in absence of date, it could not be ascertained as whether the NHRC had jurisdiction to entertain the complaint.

Standing Counsel pleaded that investigation was necessary in the case.

The bench of Justice Saral Srivastava and Justice Amitabh Kumar Rai has directedissued notices to respondents and directed them to file counter affidavits and also directed that

“Until further orders of this Court, the effect and operation of the orders dated 28.2.2025, 23.4.2025 and 11.6.2025 passed by respondent No. 1/National Human Rights Commission, New Delhi in Case/File No. 1398/24/0/2025 shall remain stayed.”

The matter has been directed to be listed on 17th November 2025.

Clarion India

Allahabad HC Stays Probe into Financial `Irregularities' by 558 Madrasas Across UP

https://clarionindia.net/allahabad-hc-stays-probe-into-financial-irregularities-by-558-madrasas-across-up/

Mohammad bin Ismail

Date: September 24, 2025

NHRC directed to issue notice to both complainant and petitioners; Legal experts say the case raises important questions about the balance between oversight of minority institutions and the protection of their rights

NEW DELHI/LUCKNOW — In a significant development protecting the rights of Indian Muslim educational institutions, the Allahabad High Court has stayed the ongoing investigation by the Economic Offences Wing (EOW) into 558 aided madrasas across Uttar Pradesh. The order follows the directions of the National Human Rights Commission (NHRC), highlighting concerns over procedural and jurisdictional lapses.

A division bench comprising Justice Saral Srivastava and Justice Amitabh Kumar Roy stayed the investigation on Monday and directed the NHRC to issue notices to both the complainant, Muhammad Talha Ansari, and the petitioners, before adjourning further proceedings until November 17.

The investigation had been initiated by the EOW after the NHRC directed the Director General of the specialised wing to probe alleged irregularities in the functioning of several madrasas, including Madrasa Arabia in Varanasi. The NHRC's directions were based on complaints alleging financial misconduct.

However, madrasa authorities immediately challenged the orders in court, arguing that the NHRC had overstepped its legal mandate. The petitioners sought to quash the NHRC orders dated February 28, April 23, and June 11, as well as the subsequent government directive of April 23, which instructed the EOW to conduct a comprehensive investigation into 558 aided madrasas.

"The functions of the Commission are clearly defined under Section 12 of the Human Rights Protection Act, 1993. Any proceedings outside this framework are ultra vires," the petitioners argued. They also cited Section 36(2) of the Act, which states that the Commission cannot investigate matters more than one year after the alleged violation of human rights occurred.

Further, the petitioners highlighted Section 12A, under which the NHRC may only conduct inquiries under specific conditions: on its own initiative, on application by an aggrieved person, or by court direction. "None of these conditions apply here," the petition contends.

It also noted that the complaint does not specify the date of any alleged violation, rendering the investigation outside the NHRC's jurisdiction.

The EOW, a specialised wing of police authorities in the country, investigates financial crimes including fraud, embezzlement, bribery, forgery, and corruption. Its mandate is to protect individuals and institutions, ensure compliance with financial laws, and recover misappropriated assets.

Many Muslim community leaders and madrasa representatives have welcomed the high court's intervention, seeing it as a crucial safeguard against arbitrary targeting of educational institutions serving minority communities. "These madrasas have been providing education and guidance to generations. We are relieved that the court has recognised the need to protect their rights and due process," said Abdul Rashid, a senior madrasa trustee.

Another teacher from Madrasa Arabia in Varanasi, speaking on condition of anonymity, added, "We have always followed legal and financial norms. The allegations are vague, and it is reassuring that the judiciary has temporarily stayed this investigation until proper procedures are followed."

Legal experts note that the case raises important questions about the balance between oversight of minority institutions and the protection of their rights under Indian law. Advocate Priya Sharma observed, "The court's stay signals judicial caution. While financial oversight is important, investigations must respect the legal boundaries and safeguards enshrined for all institutions."

The NHRC is expected to respond to the notices issued by the court before the next hearing. Until then, the investigation remains on hold, offering temporary relief to hundreds of madrasas across Uttar Pradesh and their communities.

This case underscores the delicate position of Indian Muslim educational institutions, which continue to face scrutiny while striving to serve their communities. The judiciary's intervention has been widely seen as a reaffirmation of legal protections and an effort to prevent potential misuse of investigative powers.

MM News

India: Why Allahabad High Court stopped madrasa Investigation

https://mmnews.tv/india-why-allahabad-high-court-stopped-madrasa-investigation/

by MM News Staff | September 24, 2025

India's Allahabad High Court, in compliance with the directive of the National Human Rights Commission, has ordered the Economic Offences Wing to stop the ongoing investigations regarding 558 aided madrasas.

According to details, while delivering this decision, the Division Bench of Justice Saurabh Srivastava and Justice Amitabh Kumar Rai directed the National Human Rights Commission to issue notices to the complainant and the petitioner, and further hearing of the case has been adjourned until November 17.

On the basis of a complaint by Muhammad Talha Ansari, the National Human Rights Commission had directed the Director General of the Economic Offences Wing to conduct an investigation into the matter. Following this, teachers of Madaris Arabia in Varanasi and two others filed a petition demanding the annulment of the National Human Rights Commission's orders dated February 28, April 23, and June 11, which directed the Commission to investigate the allegations of the complainant and to submit an action report.

The petition also demanded the annulment of the government order dated April 23, under which the Economic Offences Wing, following the above directives of the National Human Rights Commission, has been conducting comprehensive investigations of 558 aided madrasas. It has been stated that the functions of the Commission are specifically mentioned under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

Notably, Section 36(2) of the Indian Act clearly states that the Commission will not investigate any matter after the expiry of one year from the date on which the violation of human rights is alleged to have been committed.

It has also been argued that under Section 12A, the Commission may conduct investigations suo motu, or on a petition presented by a victim or someone on his behalf, or on the basis of a directive or order of a court. In this case, none of the conditions under Section 12A apply. It is also stated that the complaint does not mention the date of violation of human rights. The allegations in the complaint are vague and do not indicate any specific date. Therefore, it is not possible to determine whether the complaint was made within one year of the date of violation of human rights. Hence, the entire proceedings of the Commission are argued to be beyond its jurisdiction.

Navbharat Times

यूपी के 558 मदरसों की जांच पर लगी रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने NHRC निदेर्शों का दिया हवाला, जानिए पूरी डिटेल

UP Madarsa: जांच के आदेश के खिलाफ टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश और प्रबंध समिति मदरसा मदीनतुल उलूम जलालीपुर बनारस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की गई है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/allahabad/allahabad-high-court-stays-investigation-558-madrasas-uttar-pradesh-citing-nhrc-directives/amp_articleshow/124084449.cms

Edited by: धीरेंद्र सिंह Updated: 24 Sept 2025, 12:25 pm|नवभारत टाइम्स

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के क्रम में 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने आदेशों पर रोक लगाते राष्ट्रीय हुए मानवाधिकार आयोग के साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।

यूपी मदरसा जांच

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मोहम्मद तलहा अंसारी की शिकायत के आधार पर महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले में जांच के लिए कहा था। वाराणसी के टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया और दो अन्य की याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28 फरवरी, 23 अप्रैल और 11 जून के उन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है, जिनमें महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

सरकारी आदेश रद्द करने की मांग

याचिका में बीते 23 अप्रैल के उस सरकारी आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उक्त निर्देशों के बाद आर्थिक अपराध शाखा 558 सहायता प्राप्त मदरसों की व्यापक जांच कर रही है। कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग के कार्य विशेष रूप से गिनाए गए हैं। यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 36 (2) स्पष्ट रूप से यह बताती है कि आयोग किसी भी मामले की जांच उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं करेगा, जिस तारीख को मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई कार्य हुआ था।

यह भी तर्क दिया गया कि धारा 12- ए के तहत आयोग स्वतः संज्ञान से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर या किसी न्यायालय के किसी निर्देश या आदेश के आधार पर जांच कर सकता है। इस मामले में धारा 12-ए के तहत कोई भी शर्त लागू नहीं होती है। यह भी कहा गया कि शिकायत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कार्य की तारीख का उल्लेख नहीं है।

शिकायत में दिए गए आरोप अस्पष्ट हैं और किसी विशिष्ट तारीख का खुलासा नहीं करते हैं। इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि शिकायत मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के भीतर की गई थी या नहीं। ऐसे में तर्क दिया गया कि आयोग की पूरी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

Mradubhashi

558 मदरसों की जांच पर लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा – NHRC दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही हो कार्रवाई

https://mradubhashi.com/news.php?id=allahabad-high-court-issues-major-decision-ongoing-investigation-into-558-madrasas-in-up-halted-citing-nhrc-guidelines-578440

Updated on 24 Sep, 2025 12:53 PM IST BY MRADUBHASHI.COM

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के क्रम में 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने आदेशों पर रोक लगाते राष्ट्रीय हुए मानवाधिकार आयोग के साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मोहम्मद तलहा अंसारी की शिकायत के आधार पर महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले में जांच के लिए कहा था। वाराणसी के टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया और दो अन्य की याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28 फरवरी, 23 अप्रैल और 11 जून के उन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है, जिनमें महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

सरकारी आदेश रद्द करने की मांग

याचिका में बीते 23 अप्रैल के उस सरकारी आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उक्त निर्देशों के बाद आर्थिक अपराध शाखा 558 सहायता प्राप्त मदरसों की व्यापक जांच कर रही है। कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग के कार्य विशेष रूप से गिनाए गए हैं। यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 36 (2) स्पष्ट रूप से यह बताती है कि आयोग किसी भी मामले की जांच उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं करेगा, जिस तारीख को मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई कार्य हुआ था।

यह भी तर्क दिया गया कि धारा 12- ए के तहत आयोग स्वतः संज्ञान से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर या किसी न्यायालय के किसी निर्देश या आदेश के आधार पर जांच कर सकता है। इस मामले में धारा 12-ए के तहत कोई भी शर्त लागू नहीं होती है। यह भी कहा गया कि शिकायत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कार्य की तारीख का उल्लेख नहीं है। शिकायत में दिए गए आरोप अस्पष्ट हैं और किसी विशिष्ट तारीख का खुलासा नहीं करते हैं। इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि शिकायत मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के भीतर की गई थी या नहीं। ऐसे में तर्क दिया गया कि आयोग की पूरी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

Live Law Hindi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 558 सहायता प्राप्त मदरसों की जांच के निर्देश पर लगाई रोक

https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/allahabad-high-court-stays-nhrc-order-directing-economic-offences-wing-probe-into-558-aided-madrasas-in-up-305012

Shahadat 24 Sept 2025 7:20 PM (2 mins read)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

शिक्षक संघ मदारिस अरबिया सहित याचिकाकर्ताओं ने मोहम्मद तल्हा अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर NHRC द्वारा पारित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि आयोग को कथित घटना की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 36(2) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया, आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा, जिस दिन कथित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य किया गया हो। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12(ए) का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि इस प्रावधान के तहत जांच शुरू करने की कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई। यह तर्क दिया गया कि शिकायत में कथित घटना का कोई विशिष्ट विवरण (दिनांक और समय) नहीं दिया गया, जिससे यह अस्पष्ट हो गई। यह तर्क दिया गया कि दिनांक के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि NHRC को शिकायत पर विचार करने का अधिकार है या नहीं।

सरकारी वकील ने दलील दी कि मामले में जांच आवश्यक है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उन्हें प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

Jagran

Muzaffarpur News: जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत में राष्ट्रीय मावधिकार आयोग ने डीएम व एसएसपी को किया तलब

https://www.jagran.com/bihar/muzaffarpur-muzaffarpur-news-national-human-rights-commission-summons-dm-and-ssp-in-the-case-of-death-of-four-children-who-were-burnt-alive-24058269.html

By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar

Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:38 PM (IST)

Muzaffarpur News सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव से जुड़ा है मामला। इस अगलगी की घटना में चार बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बारे में कहा गया कि बिजली के पोल पर लगे डीबी बाक्स में शार्ट सर्किट होने के बाद आग लगी थी। देखते ही देखते आसपास के घरों में आग फैल गई थी। इसकी चपेट में आने से बच्चों की मौत हुई थी।

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव में हुई भीषण अगलगी में जिंदा जलने से चार बच्चों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले में मुजफ्फरपुर के डीएम व एसएसपी को तलब किया है।

विदित हो कि रामपुर मनी गांव में इसी वर्ष 16 अप्रैल को आग लगने के कारण चार बच्चे जिन्दा जल गए थे। हादसे में गांव के 65 घर आग से जलकर राख हो गये थे। घटना के बारे में बताया गया था कि बिजली के पोल पर लगे डीबी बाक्स में शार्ट सर्किट से आग लगी थी। इसके बाद आसपास के घर में आग फैल गई थी।

वहां गैस सिलेंडर में आग लगते ही सिलेंडर फटने से आग भयानक रूप ले लिया था। जिसमें चार मासूमों की जिंदगी समाप्त हो गयी थी। मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की थी।

इसमें मांग की गई थी कि सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और सहायता राशि पारदर्शी तरीके से मिले। जिससे कि पीड़ित परिवार अपने जीवन स्तर को पुनः विकसित कर सके। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकारी योजना के तहत आवास, भोजन, वस्त्र एवं उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा का लाभ भी सुलभ कराने की मांग की थी।

मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुनवाई आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की पीठ के द्वारा की जा रही है। आयोग के द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए डीएम व एसएसपी को तलब किया गया है। चार सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की गई है। अधिवक्ता ने आयोग के इस पहल का स्वागत किया है। उम्मीद जताई है कि डीएम व एसएसपी के स्तर से ससमय मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट आयोग को समर्पित की जाएगी।

Dainik Bhaskar

मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी को NHRC ने किया तलब: अप्रैल में चार बच्चों की जिंदा जलने से हुई थी मौत, चार सप्ताह के अंदर मांगी रिपोर्ट

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/muzaffarpur-dm-and-ssp-summoned-by-nhrc-in-case-of-fires-136001058.html

मुजफ्फरपुर 7 घंटे पहले

मुजफ्फरपुर जिले में सकरा ब्लॉक के रामपुर मनी गांव में आगजनी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC) ने डीएम और एसएसपी को तलब किया है। 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्टर देने को कहा है।

16 अप्रैल 2025 को गांव में आग लगने से 65 घर जलकर राख हो गए थे। 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई थी। मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग-अलग याचिका दाखिल की है।

2 अलग-अलग याचिका दाखिल

याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और सहायता राशि पारदर्शी तरीके से मिले। जिससे कि पीड़ित परिवार अपने जीवन स्तर को फिर से विकसित कर सके।

पीड़ित परिवारों को सरकारी योजना के तहत आवास, भोजन, वस्त्र एवं उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा का लाभ भी सुलभ कराने की मांग की थी।

डीएम और एसएसपी तलब, रिपोर्ट मांगी

अब मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की पीठ में सुनवाई हो रही है। सुनवाई करते हुए जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया गया है। 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है।

अधिवक्ता एसके झा ने आयोग के इस पहल का स्वागत किया है। उम्मीद जताई है कि डीएम व एसएसपी के स्तर से ससमय मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट आयोग को समर्पित की जाएगी।

Johar Live

आगजनी मामले में NHRC सख्त, डीएम और एसएसपी को तलब, 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

https://www.joharlive.com/news/nhrc-takes-strict-action-in-arson-case-summons-dm-and-ssp-seeks-report-in-4-weeks/

By Kajal Kumari September 24, 2025 - 2 Mins Read

Muzaffarpur : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा ब्लॉक के रामपुर मनी गांव में 16 अप्रैल 2025 को हुई भीषण आगजनी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को तलब किया है और 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

इस आगजनी में 65 घर जलकर राख हो गए थे और 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाओं में मांग की गई है कि पीड़ित परिवारों को पारदर्शी तरीके से सरकारी मुआवजा और सहायता राशि दी जाए। साथ ही, उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत आवास, भोजन, वस्त्र और बच्चों की उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें।

NHRC की कार्रवाई

आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की पीठ में इस मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान डीएम और एसएसपी को तलब किया गया है। अधिवक्ता एसके झा ने आयोग के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन समय पर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा।

Hindustan

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम व एसएसपी से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर के रामपुर मनी गांव में आग लगने से चार मासूम बच्चों की जलने से मौत हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिससे 65 घर जलकर राख हो गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट...

https://www.livehindustan.com/bihar/muzaffarpur/story-tragic-fire-in-muzaffarpur-nhrc-seeks-report-on-death-of-four-children-201758756513930.amp.html

Wed, 25 Sept 2025, 04:58:AM

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव में हुई भीषण अगलगी में चार मासूम के जिंदा जलने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम व एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। पीड़ितों को दिए गए मुआवजा और सुविधाओं को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है। इस वर्ष 16 अप्रैल की सुबह करीब नौ बजे आग लगने के कारण चार बच्चे जिंदा जल गए थे। गांव में कुल 65 घर आग से जलकर राख हो गए थे। शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली पोल पर लगे डीपी बॉक्स से निकली चिंगारी से बगल के घर में आग लगी।

इसके बाद आगपास के घरों में फैलती चली गई। घर में रखे गैस सिलेंडर के फटने से आग ने भयानक रूप ले लिया था। गांव के अधिकतर लोग गेहूं कटाई के लिए गए थे। जलते घर में चारों ओर से घिर जाने के कारण चार मासूम जिंदा जल गए थे। इसमें डीएम के निर्देश पर मृत बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये का चेक दिया गया था। वहीं, जितने घर जले थे सभी को इंदरा आवास से बनवाने की घोषणा की गई थी। अगलगी के पीड़ितों की ओर से अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की थी। इसमें मांग की थी कि सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और सहायता राशि पारदर्शी तरीके से मिले। ताकि, पीड़ित परिवार अपने जीवन स्तर को पुनः विकसित कर सके। साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकारी योजना के तहत आवास, भोजन, वस्त्र एवं उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा का लाभ भी सुलभ कराने की मांग की थी। याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ सुनवाई कर रही है। पीठ ने मामले में जिले के डीएम व एसएसपी से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

Tirhut Now

रामपुर मनी अगलगी कांड: एनएचआरसी ने डीएम और एसएसपी मुजफ्फरपुर को किया तलब।

https://tirhutnow.com/rampur-money-burning-case-nhrc-summons-dm-and-ssp-muzaffarpur/

September 24, 2025

मुजफ्फरपुर: जिले के सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गाँव में इस वर्ष 16 अप्रैल को हुई भीषण अगलगी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तलब करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि 16 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे बिजली के पोल पर लगे डीपी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। देखते ही देखते आग पास के घर तक फैल गई और गैस सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। इस भीषण अगलगी में चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि पूरे गाँव के 65 घर जलकर राख हो गए थे।

इस घटना को लेकर जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिकाएँ दायर की थीं। अधिवक्ता झा ने मांग की थी कि सभी पीड़ित परिवारों को पारदर्शी तरीके से सरकारी मुआवजा और सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को आवास, भोजन, वस्त्र और बच्चों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित की जाए।

अब आयोग के माननीय सदस्य प्रियांक कानूनगो की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आयोग की सख्ती के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों को उचित न्याय और राहत मिलेगी। अधिवक्ता झा ने एनएचआरसी की इस पहल का स्वागत किया है और भरोसा जताया है कि प्रशासन समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

India Today

Ba***ds of Bollywood row: The grey area in India's vaping and smoking laws

The Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 (PECA) bans the production, sale, distribution, storage, transport, import, export, and advertisement of e-cigarettes. But here lies the grey area: the Act does not criminalise the use or possession of vapes.

https://www.indiatoday.in/india/law-news/story/bads-of-bollywood-ranbir-kapoor-smoking-vaping-laws-loopholes-action-2792596-2025-09-24

Aneesha Mathur | New Delhi, UPDATED: Sep 24, 2025 16:53 IST

Aryan Khan's directorial debut 'Ba***ds of Bollywood' has run into legal trouble after the National Human Rights Commission (NHRC) asked Mumbai Police to register an FIR and urged the Union I&B Ministry to explain how the show was cleared without mandatory on-screen disclaimers against smoking. The trigger: a single scene of actor Ranbir Kapoor vaping.

At the same time, writer Arundhati Roy's latest book has sparked its own controversy. A petition before the Kerala High Court alleges that the book's cover—showing Roy smoking a beedi—violates Indian tobacco-control laws.

But what exactly does the law say? India Today takes a closer look.

THE LEGAL FRAMEWORK

COTPA, 2003

The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) governs how tobacco products can be produced, sold, and depicted.

Section 5 prohibits advertising of cigarettes and tobacco products.

Section 7 mandates health warnings on packaging.

Section 8 prescribes how those warnings must appear: legible, prominent, and conspicuous.

COTPA Rules, 2005 extended these restrictions to cinema and television, making it mandatory to run anti-tobacco disclaimers or scrolls during smoking scenes.

COTPA Rules, 2023 widened the scope to online curated content. OTT platforms must now:

Play 30-second anti-tobacco spots at the start and midpoint of any programme showing tobacco use.

Display a static health warning during such scenes.

Insert a 20-second audio-visual disclaimer at the beginning and midpoint.

Failure to comply can trigger action by an inter-ministerial committee of the Health, I&B, and IT ministries.

WHAT ABOUT VAPES?

The Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 (PECA) bans the production, sale, distribution, storage, transport, import, export, and advertisement of e-cigarettes.

But here lies the grey area: the Act does not criminalise the use or possession of vapes. Depicting a vape on-screen may not technically amount to an offence, even if its manufacture and sale are illegal.

That ambiguity is at the heart of the Ba**ds of Bollywood row.

THE LOOPHOLES

Films and shows depicting banned narcotics usually make it clear that possession and consumption are crimes. But for vapes, the law is silent on usage.

COTPA mandates health warnings for depictions of cigarettes and beedis, but not e-cigarettes.

As a result, filmmakers may argue they are not legally bound to add disclaimers when showing vaping.

In Arundhati Roy's case, lawyers point out that a book cover photo is not an "advertisement" under COTPA. Publication of a still image depicting smoking is not barred, since no tobacco product is being promoted.

WHAT LAWYERS SAY

Madhu Gadodia, deputy managing partner at Anand & Naik, told India Today, "Depiction of an e-cigarette as part of cinematographic content on an OTT platform does not strictly qualify as an 'advertisement'. Whether e-cigarettes cover vapes is still a grey area."

Nikhil Narendran, partner at Trilegal, added, "The PECA Act doesn't criminalise possession for personal consumption—only sale or advertising. If the government had intended to ban use, it could have done so."

On the Roy book cover controversy, Narendran said, "It's clear a cover picture does not amount to promoting smoking. She is promoting herself and her book."

Gadodia agreed. "A still image used merely as a background prop would not qualify as an 'advertisement' under the Act," she said.

WHAT'S NEXT?

The Kerala High Court will hear the petition on Roy's book cover on Thursday. Meanwhile, the NHRC has pressed Mumbai Police and the I&B Ministry to act against Ba**ds of Bollywood.

How courts interpret the grey zones around vaping, and whether regulators choose to close the loopholes, remains to be seen.

For now, lawyers advise filmmakers and artists to take no chances: "As a measure of abundant caution, it's best to include disclaimers to mitigate risk."

The Week

`Bads of Bollywood': Why netizens say `there's no way' Aryan Khan directed Netflix series

Written and directed by Aryan Khan, 'The Bads of Bollywood' is currently battling online outrage over a scene

https://www.theweek.in/news/entertainment/2025/09/24/bads-of-bollywood-why-netizens-say-there-s-no-way-aryan-khan-directed-netflix-series.amp.html

By The Week News Desk Updated: September 24, 2025 11:17 IST

Aryan Khan's 7-episode debut project, 'The Bads of Bollywood', grabbed headlines barely a week from its release for its maverick plot and bold, self-aware satire that surprised many.

However, social media reactions to the show initially went from praise for Aryan's experimental debut to doubt about whether a ghost director (a secret, uncredited director) was used instead.

"Unsure whether its Aryan Khan or Ghost director," a user wrote on X, amid praise for the series.

"To really think that this was done by one person alone is naive. For a project like this he must have a ghost-writing team or story consultants at his disposal to fine tune the script," a Redditor weighed in, casting doubt about whether Aryan khan had even written the series.

"There is no way he is the sole writer and director of this in the traditional Bollywood sense," another Redditor declared.

However, 'Bads of Bollywood' actress Anya Singh quashed netizens' doubts, saying that people just wanted "an opportunity to bring another person down".

"He knew there'd be conversations and chatter, but he did not question his vision at any point. I have a lot of respect for how he has stood by his own thoughts," she told Hindustan Times.

Written and directed by Aryan Khan, 'The Bads of Bollywood' is currently battling online outrage over a scene with Ranbir Kapoor using an e-cigarette (vape)—which is banned in India—without an appropriate disclaimer.

The National Human Rights Commission (NHRC) issued a notice to the Commissioner of Mumbai Police, urging that an FIR be filed against Kapoor, the show's producers, and Netflix.

Navbharat Times

आर्यन खान की `द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बवाल, रणबीर कपूर के ई-सिगरेट वाले सीन पर FIR दर्ज करने की मांग, जानें मामला

https://navbharattimes.indiatimes.com/entertainment/web-series/latest/aryan-khan-the-bads-of-bollywood-sparks-uproar-demands-fir-for-ranbir-kapoor-cigarette-scene/articleshow/124047959.cms

Curated by: सोनम कनौजिया | नवभारतटाइम्स.कॉम•24 Sept 2025, 10:36 am

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद रणबीर कपूर के एक सीन पर हुआ है, जिसमें वो ई-सिगरेट पी रहे हैं पर बिना किसी चेतावनी के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पढ़ें रिपोर्ट।

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर, सीन पर हुआ विवाद

आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है। शाहरुख खान के लाडले की वेब सीरीज में कई जाने-माने स्टार्स का कैमियो है। इनमें रणबीर कपूर भी शामिल हैं, जो 'रामायण' में राम के किरदार में नजर आएंगे। आर्यन के शो में एक सीन में रणबीर ई-सिगरेट पीते दिख रहे हैं, जिस पर अब विवाद हो गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुंबई पुलिस से एक्टर, शो के प्रोड्यूसर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सीन में रणबीर कपूर 'बिना किसी चेतावनी या अस्वीकरण' के स्क्रीन पर ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

युवाओं पर पड़ेगा बुरा असर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर ऐसे कॉन्टेंट पर रोक लगाने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि इससे युवाओं पर असर पड़ सकता है।

FIR दर्ज करने की गुजारिश

एनएचआरसी ने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें गुजारिश की है कि वो रणबीर कपूर, शो के निर्माता और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ इलेक्ट्रिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के उल्लंघन के लिए FIR दर्ज करे।

आर्यन की वेब सीरीज

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें लक्ष्य लालवानी, आन्या सिंह, राघव जुयाल, बॉबी देओल, सहर बाम्बा, मोना सिंह और गौतमी कपूर जैसे स्टार्स हैं। कई स्टार्स का कैमियो भी है।

Dainik Bhaskar

छात्र से बदसलूकी, राष्ट्रीय-राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर:परीक्षा में देरी का कारण जानने पहुंचे थे स्टूडेंट, धक्का-मुक्की का आरोप

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/mistreatment-of-student-petition-filed-in-national-state-human-rights-commission-136003345.html

मुजफ्फरपुर 2 घंटे पहले

मुजफ्फरपुर में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) में पीजी फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा (सत्र 2023–25) के आयोजन में लगातार देरी के विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। परीक्षा विभाग में एक छात्र के साथ परीक्षा नियंत्रक की कथित बदसलूकी और पिटाई का मामला सीधे मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, परीक्षा नियंत्रक ने बेतिया से आए छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़ लिया और कथित तौर पर गला दबाने का भी प्रयास किया। घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

छात्र का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा में देरी का कारण जानने पहुंचे थे, लेकिन सवाल पूछने पर परीक्षा नियंत्रक भड़क उठे और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगे। छात्र मुकेश शर्मा का कहना है कि न केवल कॉलर पकड़ा गया, बल्कि प्रशासनिक भवन के अंदर उनकी पिटाई भी की गई।

परीक्षा में देरी से सैकड़ों छात्र हुए प्रभावित विश्वविद्यालय की ओर से पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2025 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन सितंबर के अंत तक भी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इस वजह से सैकड़ों छात्र एसटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो गए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा नियंत्रक और प्रशासन की लापरवाही के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग-अलग याचिकाएं

मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और परीक्षा नियंत्रक का रवैया शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता है।

उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में लगातार शैक्षणिक माहौल का ह्रास हो रहा है। परीक्षा नियंत्रक का वायरल वीडियो बेहद निंदनीय है। छात्रों को उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की बजाय सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए। इस घटना के बाद से विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब प्रशासन ही सवालों से भागने लगे और छात्रों से दुर्व्यवहार करने लगे, तो वे न्याय की उम्मीद किससे करेंगे।

Tirhut Now

बिहार विश्वविद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग।

https://tirhutnow.com/the-case-of-beating-of-a-student-in-bihar-university-reached-the-human-rights-commission/

Posted by tirhutnow September 24, 2025

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पीजी चौथे सेमेस्टर (सत्र 2023-25) की परीक्षा में देरी के कारण पूछताछ करने गए छात्र मुकेश शर्मा के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा कथित बदसलूकी और कॉलर पकड़ने का मामला गंभीर रूप ले चुका है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद सुर्खियों में है, जिसमें परीक्षा नियंत्रक छात्र का कॉलर पकड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले ने अब राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्यान खींचा है, जहां मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

मामले की जड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, जिसके कारण पीजी परीक्षा जुलाई के बजाय सितंबर अंत तक भी आयोजित नहीं हो सकी। इस देरी से सैकड़ों छात्र STET परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। जब छात्रों ने देरी का कारण जानने के लिए परीक्षा विभाग का रुख किया, तो जवाब देने के बजाय परीक्षा नियंत्रक ने बेतिया के छात्र मुकेश शर्मा के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। मुकेश ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक भवन में उनकी पिटाई की गई और गला दबाने की कोशिश भी हुई।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि परीक्षा नियंत्रक का व्यवहार निंदनीय है और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। यह मामला अब मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है, और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई की मांग तेज हो रही है।

First Bihar

बिहार विश्वविद्यालय में छात्र से बदसलूकी का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, परीक्षा नियंत्रक पर गंभीर आरोप

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में छात्र से बदसलूकी और पिटाई का मामला अब राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुँच गया है। परीक्षा में विलम्ब को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ।

https://firstbihar.com/amp/bihar/muzaffarpur-news/brabu-student-assault-human-rights-commission-343960

24-Sep-2025 07:51 PM

By MANOJ KUMAR

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर :- बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा पीजी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में विलम्ब का कारण पूछने पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़ने और उसके साथ बदसलुकी का मामला अब तूल पकड़ लिया है। अब यह मामला राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुँच चुका है।

बताते चले कि मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दायर की है। पूरा मामला यह है कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा पीजी फोर्थ सेमेस्टर (सत्र 2023-25) की परीक्षा में विलम्ब के कारण सैकड़ों छात्र एसटीईटी परीक्षा देने से वंचित रह गये, जिससे उनका भविष्य संकट में पड़ गया है। यह परीक्षा जुलाई माह में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन परीक्षा नियंत्रक व विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण सितम्बर माह की समाप्ति तक भी परीक्षा नहीं हो सकी।

वहीं सवाल करने पर खेद जताने के बजाये छात्रों के साथ बदसलुकी की जा रही है। परीक्षा में विलम्ब का कारण पूछने जब छात्रगण परीक्षा विभाग पहुँचे तो सवाल पूछने पर परीक्षा नियंत्रक भड़क गये और बेतिया से आए छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ बदसलुकी भी की गई। इस सम्बन्ध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

वहीं छात्र मुकेश शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उनकी पिटाई भी की गई और परीक्षा नियंत्रक ने उनका गला दबाने का भी प्रयास किया। वहीं मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है, विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है कि विश्वविद्यालय में दिन-प्रतिदिन शैक्षणिक माहौल का ह्रास हो रहा है। वायरल वीडियो में परीक्षा नियंत्रक का व्यवहार काफी निंदनीय है।

Indian Express

No certificate of recognition, Institute for the Blind in Delhi set to be shut in 2 weeks

Future of 115 students at the institute upended by a DoE notice

https://indianexpress.com/article/cities/delhi/no-certificate-of-recognition-institute-for-the-blind-in-delhi-set-to-be-shut-in-2-weeks-10269719/

Written by Sophiya Mathew
New Delhi | September 25, 2025 06:05 AM IST

4 min read

Students huddled over evening snacks, moving cautiously along yellow tactile tiles while resting against each other for support – at a glance it looks like a usual day at Institute for the Blind, Panchkuian Road. However, a sense of unease hung over the staff at the institute – in two weeks, these classrooms and corridors, which the visually impaired children know so well, could disappear forever.

The lives of the institute's 115 students have been upended by a notice issued by the Directorate of Education on September 20, ordering the immediate closure of the school and the hostel.

The students, mostly from states including Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand, belong to economically backward backgrounds.

The notice, issued by Deputy Director (Education) Zone 26, cited the absence of a mandatory certificate of recognition due to lack of land allotment papers. It claimed that "no remedial action" was taken despite letters sent to the institute in 2019 highlighting "substantial and material deficiencies" in its application seeking recognition. Section 4 of the Delhi School Education Act, 1973 requires land documents as proof of ownership.

The institute's administrative secretary, Jai Prakash Sharma, claimed that the management has filed an application seeking recognition on September 19, requesting that the land clause be waived. He also recalled that in 2013, the management had applied for recognition from the DOE. Sharma added that the institute received no reply to the application.

Founded in Lahore in 1939 and relocated to Delhi after Partition, the institute was set up following Mahatma Gandhi's verbal instructions, officials from the institution said.

"This institute was set up at the behest of Mahatma Gandhi. We have approached all authorities for land allotment documents, including the SDM, Waqf Board and Land and Development Office (L&DO). How can we send blind children to the road?" asked Sharma.

The DoE notice has directed that all academic and residential activities cease within two weeks, warning of penalties of up to Rs 1 lakh and Rs 10,000 per day for continued violations.

The institute, however, contested the DoE's claims. "The infrastructure, including hostel rooms, kitchen and computer lab, is in good condition. These are wrong allegations," said Sharma.

Maintaining that the NHRC had made no follow-up visits since raising safety concerns last year, he added that the institute holds a 2019 health No Objection Certificate from the New Delhi Municipal Council and a registration certificate from the Department of Social Welfare.

While a fact-finding team in September 2023 had reported gaps in basic infrastructure and safety arrangements found at the institute, the National Human Rights Commission (NHRC) had flagged gaps based on a news report on June 30, 2023.

The DoE has also pointed to complaints from resident students about personal safety, including at least three POCSO cases in which three of the resident inmates were booked.

Denying that the school is unsafe, Sharma said, "We have tried to evict the resident students who are forcibly staying after completing Class 12 and sought the police's help in the matter."

A dispute related to the school is being heard by the Delhi High Court, which on August 13 had directed the DoE to file an affidavit on the institute's recognition status and the validity of its actions.

For staffers like Surender Kohl, who has worked at the institute for 17 years, the uncertainty is deeply personal. "The students here come from poor backgrounds… We don't know what will happen now. Some staff members have been here for 30 years. It is like a family here," she said.

In 2006, the institute was recognised by the Limca Book of Records as the country's oldest extant blind school. It has 35 rooms, 11 teachers, and provides four meals a day, along with free education till Class 8 and hostel facilities till Class 12 to the students. The institute has another school, which is recognised, for the visually impaired male students in Amar Colony.

Jagran

बेटी का जन्मदिन मना रहे थे, पुलिस ने उठाया और मार दिया, मानवाधिकार आयोग के सामने पत्नी का आरोप

https://www.jagran.com/jharkhand/godda-human-rights-commission-probes-surya-hansda-encounter-case-24058135.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

By Vidhu Vinod Edited By: Chandan Sharma

Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:02 PM (IST)

बहुचर्चित सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम ने गोड्डा के डकैता गांव में सूर्या के परिजनों से बयान दर्ज किए। सूर्या की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसाकर उनके पति को प्रताड़ित किया और फिर उनकी हत्या कर दी। आयोग ने परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, गोड्डा। बोआरीजोर थाना क्षेत्र के रहड़बड़िया जंगल में बीते 11 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आ गया है।

इस बहुचर्चित एनकाउंटर की जांच के लिए आयोग की दो सदस्यीय टीम ने उनके पैतृक गांव डकैता पहुंचकर परिवार के सदस्यों से गहन पूछताछ की है।

आयोग के अधिकारी विमल उत्पल और संजीव कुमार ने सूर्या की मां नीलमणि मुर्मू, पत्नी सुशीला मुर्मू और छोटे भाई प्रमोद हांसदा से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। इस दौरान परिवार ने एनकाउंटर से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए।

पत्नी ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप

सूर्या की पत्नी सुशीला मुर्मू ने आयोग को बताया कि पुलिस प्रशासन ने उनके पति पर कई फर्जी मुकदमे लादकर उन्हें जानबूझकर परेशान किया।

उन्होंने बताया कि जिस दिन राजमहल परियोजना खनन क्षेत्र में गोलीकांड हुआ था, उसी दिन सूर्या अपने घर पर बेटी का जन्मदिन मना रहे थे, फिर भी उनका नाम इस मामले में घोंटा गया। इसी फर्जी मुकदमे के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

सुशीला ने दावा किया कि पुलिस ने कई बार ऊर्जा नगर स्थित ईसीएल क्वार्टर पर जाकर सूर्या को आत्मसमर्पण करने की धमकी दी थी और न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

उन्होंने बताया कि उस समय सूर्या टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे और देवघर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रुके हुए थे।

पहले टॉर्चर किया, फिर कर दिया एनकाउंटर

सुशीला मुर्मू ने आयोग को बताया कि 10 अगस्त की शाम को पुलिस ने सूर्या को गिरफ्तार किया था। उन्होंने मीडिया को पहले ही यह आशंका जता दी थी कि उनके पति का एनकाउंटर किया जा सकता है।

उनकी आशंका सच साबित हुई। सुशीला के अनुसार गिरफ्तारी के बाद सूर्या को महागामा लाया गया और उसी रात मुठभेड़ में मार दिया गया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सूर्या को भयानक यातनाएं दी गईं, जिसके चलते उनके शरीर पर इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। सुशीला ने पुलिस के इस तर्क को खारिज किया कि सूर्या हथकड़ी लगे होने के बावजूद पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर गोली चलने का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने आयोग से न्याय की गुहार लगाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

आयोग ने परिवार को आश्वासन दिया है कि सभी बयानों और घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ETV Bharat

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा , जानें क्या है कारण - NHRC SPECIAL MONITORS

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाना और संबंधित मामलों का समाधान करना है.

https://www.etvbharat.com/amp/hi/!bharat/national-human-rights-commission-proposes-to-engage-special-monitors-hindi-news-hin25092406490

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 10:19 PM IST

4 Min Read

संतू दास

नई दिल्ली:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मानवाधिकार मुद्दों से निपटने में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले और डोमेन विशेषज्ञों को विशेष मॉनिटर के रूप में सेवाएं देने का प्रस्ताव दिया है. एनएचआरसी का मानना है कि, इससे उसके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है.

विशेष निगरानीकर्ता का मुख्य कर्तव्य विशेष प्रक्रियाओं द्वारा संचालित गतिविधियों, भ्रमणों और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से उभरते मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करके मानवाधिकार चुनौतियों की जांच, मूल्यांकन, सलाह और रिपोर्ट देना होगा.

उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाना और संबंधित मामलों का समाधान करना है.

आयोग की जिम्मेदारियां अधिनियम की धारा 12 में जिक्र किया गया है, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघनों या सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे उल्लंघनों को रोकने में लापरवाही से संबंधित शिकायतों की जांच के अलावा, जेलों और अन्य सुविधाओं का दौरा, मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना और मानवाधिकार क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं की पहलों का समर्थन करना आदि शामिल हैं.

चूंकि मानवाधिकार संस्था का मुख्यालय दिल्ली में है, इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उसका वहां उपस्थित रहना अव्यावहारिक है. देश के सभी हिस्सों में आयोग की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, इसने विशिष्ट विषयगत मुद्दों पर विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति का विकल्प चुना है जो इसके प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

विशेष निगरानीकर्ता का पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कार्य करता है और स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करता है, चाहे वह किसी विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो या मानवाधिकारों से संबंधित विषयगत मुद्दों को संबोधित कर रहा हो.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत को प्राप्त हुई है, इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव

करता है जिनके पास मानवाधिकार मुद्दों से निपटने का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो और जो विशेष निगरानीकर्ता के रूप में क्षेत्र विशेषज्ञ हों ताकि आयोग को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता मिल सके."

मानवाधिकार संस्था ने कहा, "विशेष निगरानीकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी विशेष प्रक्रियाओं द्वारा की गई गतिविधियों, दौरों और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से उभरते मुद्दों पर सलाह प्रदान करके मानवाधिकार समस्याओं की जांच, मूल्यांकन, सलाह और रिपोर्ट देना है." एनएचआरसी द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर तक लंबित मामलों की संख्या 34,735 थी.

आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने के दौरान, मानवाधिकार संस्था ने 4,281 मामलों का निपटारा किया. सर्कुलर के साथ, इसने विशेष निगरानीकर्ता की नियुक्ति के लिए अपने दिशानिर्देश भी साझा किए हैं.

नियुक्त किए जाने वाले विशेष निगरानीकर्ताओं की संख्या

अधिकार निकाय के मुताबिक, विशेष निगरानीकर्ताओं को मानवाधिकार वकालत, मानव तस्करी, आपराधिक न्याय प्रणाली और ट्रांसजेंडर से संबंधित मामलों सहित विभिन्न विषयों से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है. आयोग कार्यात्मक आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति करेगा.

विशेष निगरानीकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड

मानवाधिकार निकाय के मुताबिक, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार में उच्च पदों पर रहा हो या कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसे मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो या जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, विशेष निगरानीकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

विशेष निगरानीकर्ताओं की आयु और नियुक्ति की अवधि

एनएचआरसी के मुताबिक, विशेष मॉनिटरों की प्रारंभिक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी. हालांकि, असाधारण मामलों में इसे 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है. नियुक्ति की अवधि 70 वर्ष तक होगी, इससे अधिक नहीं. विशेष मॉनिटर को प्रारंभ में 3 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा. प्रदर्शन के आधार पर, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति द्वारा उनके प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर, इसे 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे एक विशेषज्ञ ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष मॉनिटर के रूप में नियुक्त करने से एनएचआरसी के उस उद्देश्य को बल मिलेगा जिसके लिए वह अपनी स्थापना के समय से काम कर रहा है.

Samachar Samrat

एनएचआरसी ने दिल्ली के अस्पताल के शौचालय में नवजात की मौत पर लिया स्वत: संज्ञान, रिपोर्ट तलब

https://samacharsamrat.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-death-of-newborn-in-delhi-hospital-toilet/

07:09 AM

New Delhi News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली के आईएचबीएएस अस्पताल में एक नवजात की मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेज कर दो हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

मामला 10 सितम्बर का है, जिसमें एक मानसिक रूप से बीमार महिला ने अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। महिला को अदालत के आदेश पर 07 सितम्बर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में प्रसव के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थीं। गर्भनाल काटने में भी काफी देर हुई और फिर बच्चे को पास के स्वामी दयानंद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आयोग ने कहा है कि अगर यह मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं, तो यह मानवाधिकारों के गम्भीर उल्लंघन का मामला बनता है। फिलहाल, महिला का इलाज दिल्ली के ही एक दूसरे सरकारी अस्पताल में चल रहा है।